

मोदीनगर

5. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities) की अनुमन्यता

संकेताक्षर

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| ★ आवा. : आवासीय | ★ परि. : परिवहन | ★ हरि. प. : हरित पट्टी |
| ★ व्यव. : व्यवसायिक | ★ सू. प्रौद्यो. : सूचना प्रौद्योगिकी | ★ ग्रा.नि.क्षे. : ग्रामीण निर्मित क्षेत्र |
| ★ कार्या. : कार्यालय | ★ नॉ. पार्क : नॉलेज पार्क | ★ ग्रा. वि. : ग्रामीण विस्तार |
| ★ सुवि. : सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएं | ★ सं. हरि. : संस्थागत हरित | |
| ★ सि. सै. : सिटी सैन्टर | ★ पार्क : पार्क एवं खुले क्षेत्र | |

संकेत

| | |
|-------------------------------|--|
| अनुमन्य उपयोग | |
| सशर्त अनुमन्य उपयोग | |
| विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग | |
| निषिद्ध उपयोग | |




भू-उपयोग जोन्स

विकासशील/अविकसित क्षेत्र

| क्रियाएं (Activities) / उपयोग | निर्मित क्षेत्र | भू-उपयोग जोन्स | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-------|--------|---------|-------|---------|------|-------|---------------|----------|----------|---------|---------|------|---------------|-----------|
| | | आवा. | व्यव. | उद्योग | कार्या. | सुवि. | सि. सै. | परि. | पार्क | सू. प्रौद्यो. | नॉ.पार्क | सं. हरि. | मनोरंजन | हरि. प. | कृषि | ग्रा.नि.क्षे. | ग्रा. वि. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. आवासीय | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 एकल आवास | | | 2 | 28 | | | 4 | | | 5 | 5 | 3 | | | | 31 | |
| 1.2 समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग) | 7 | | 2 | 3 | 5 | | | | | 3 | 3 | 3 | | | | 31 | |
| 1.3 सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार/संतरी आवास | | | 1 | 4 | 3 | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 21 | | |
| 2. व्यवसायिक | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 फुटकर दुकानें (संलग्न सूची के अनुसार) | | 6 | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | |
| 2.2 शोरूम | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 |
| 2.3 साप्ताहिक बाजार | | 7 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 2.4 थोक मण्डी/थोक व्यापार | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 नीलामी बाजार | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 बेकरी एवं कन्फैक्शनरी, आटा चक्की | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 2.7 कोयला तथा लकड़ी के टाल | 6 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 2.8 कृषि उपजों के विक्रय केन्द्र | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 शीतगृह | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 रिसेप्ट | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 होटल | 12 | 12 | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
| 2.12 मोटल, वे-साइड रेस्तरां (ढाबा) | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | 8 |
| 2.13 भोजनालय, जलपान गृह, रैस्टोरेन्ट, कैन्टीन | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14 सिनेमा, मल्टीप्लेक्स | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15 अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, मेला स्थल | 8 | 8 | 8 | 22 | | 8 | | | | | | | | | | | 25 |

टिप्पणी 1. सशर्त अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग-3 का संदर्भ लें।

2 Upto 10% Covered area and 0.20 FAR shall be permissible for the activities permitted in the Agriculture Land Use by "Special Permission"

| क्रियाएं (Activities) / उपयोग | निर्मित क्षेत्र | भू-उपयोग जोन्स | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|------|-------|-------------|----------|----------|---------|---------|------|---------------|-----------|
| | | विकासशील/अविकसित क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | आवा. | व्यव. | उद्योग | कार्या. | सुवि. | सि. सै. | परि. | पार्क | सू प्रौद्यो | नॉ.पार्क | सं. हरि. | मनोरंजन | हरि. प. | कृषि | ग्रा.नि.क्षे. | ग्रा. वि. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.16 पी.सी.ओ./सल्युलर मोबाइल सर्विस | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.17 पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन | 8 | 8 | | | 8 | 8 | 9 | | | | | | | | 7 | 7 | 7 |
| 2.18. गैस अधिष्ठान/गैस गोदाम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19 मंडी, गोदाम, वेयरहाउस, संग्रहण केन्द्र, जंकयाड/कबाड़खान | | | 14 | | | | | 14 | | | | | | | 7 | | |
| 3. औद्योगिक | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  3.1 सेवा/कुटीर उद्योग | 16 | 13 | | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क | 18 | 18 | 18 | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 लघु उद्योग | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
| 3.4 वृहद् उद्योग, शुगर मिल, राइस शैलर, प्लोर मिल | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषणकारक उद्योग | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 खनन, ईट/चूने का भट्ठा, केशर | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 तेल डिपो/एल.पी.जी. रिफिलिंग प्लांट | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8 पाश्चराइजिंग प्लान्ट/दुग्ध संग्रहण केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9 विद्युत उत्पादन संयन्त्र/केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. कार्यालय | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  4.1 राजकीय, अर्द्ध-राजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, इत्यादि | 6 | 7 | | 21 | | 21 | | 21 | | | | | | | | | |
| 4.2 निजी कार्यालय, एजेण्ट कार्यालय, इत्यादि | | 20 | | | | 21 | | 21 | | | | | | | | | |
| 4.3 बैंक | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 वाणिज्यिक/व्यापारिक कार्यालय | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 श्रमिक कल्याण केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 पी.ए.सी/पुलिस लाइन्स | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 मौसम अनुसंधान केन्द्र/वायरलेस केन्द्र/माईक्रोवेव | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  5.1 अतिथि गृह, निरीक्षण गृह | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| 5.2 धर्मशाला, रैन-बसेरा, लाजिंग/बोर्डिंग हाउस | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| 5.3 छात्रावास | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| 5.4 अनाथालय, सुधारालय | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 कारागार | | | | | | | | | | | | | | | | | |




टिप्पणी 1. सशत अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग-3 का संदर्भ लें।

2 Upto 10% Covered area and 0.20 FAR shall be permissible for the activities permitted in the Agriculture Land Use by "Special Permission"


| क्रियाएं (Activities) / उपयोग | भू-उपयोग जोन्स | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|------|-------|-------------|----------|----------|---------|---------|------|---------------|-----------|
| | निर्मित क्षेत्र | विकासशील/अविकासित क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | आवा. | व्यव. | उद्योग | कार्या. | सुवि. | सि. सै. | परि. | पार्क | सू प्रौद्यो | नॉ.पार्क | सं. हरि. | मनोरंजन | हरि. प. | कृषि | ग्रा.नि.क्षे. | ग्रा. वि. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5.6 हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 5.7 शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8 वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9 प्राथमिक शैक्षिक संस्थान | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10 उच्च माध्यमिक, इण्टर | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 |
| 5.11 विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.12 पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल/डेंटल कालेज कम अस्पताल | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.13 प्रबन्धन संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.14 डाकघर, तारघर | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15 पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.16 पुस्तकालय/वाचनालय | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.17 स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी | 10 | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 5.18 अस्पताल | 11 | | | 11 | 11 | | 11 | | | | | | | | 23 | 11 | 11 |
| 5.19 नर्सिंग होम | 10 | 10 | | 11 | 11 | | 10 | | | 10 | 10 | | 10 | | | 10 | 10 |
| 5.20 नैदानिक प्रयोगशाला | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | |
| 5.21 हेल्थ क्लब/जिमनेजियम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.22 विद्युत शवदाह गृह, श्मशान, कब्रिस्तान | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| 5.23 संगीत/नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 5.24 सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.25 आडिटोरियम, नाट्यशाला, थिएटर | | 7 | | | | | | | 22 | | | | | | 22 | | |
| 5.26 योग, मनन, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन | 6 | 7 | | | | | | | 22 | | | | | 22 | 22 | | |
| 5.27 धार्मिक भवन | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 5.28 सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र | 6 | 7 | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | 6 | 6 |
| 5.29 बारातघर, बैक्वेट हाल | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.30 कान्फ्रेंस/मीटिंग हाल | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.31 अजायबघर | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.32 आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र | 22 | 7 | | | | | | 22 | 22 | 21 | 21 | | | 22 | 22 | | |
| 5.33 टेलीफोन, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.34 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.35 समाज कल्याण केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणी 1. सशत अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग-3 का संदर्भ लें।

2 Upto 10% Covered area and 0.20 FAR shall be permissible for the activities permitted in the Agriculture Land Use by "Special Permission"

| क्रियाएं (Activities) / उपयोग | भू-उपयोग जोन्स | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|------|-------|-------------|----------|----------|---------|---------|------|---------------|-----------|
| | निर्मित क्षेत्र | विकासशील/अविकसित क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | आवा. | व्यव. | उद्योग | कार्या. | सुवि. | सि. सै. | परि. | पार्क | सू प्रौद्यो | नॉ.पार्क | सं. हरि. | मनोरंजन | हरि. प. | कृषि | ग्रा.नि.क्षे. | ग्रा. वि. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 6. सार्वजनिक उपयोगिताएं | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 सीवरज ट्रीटमेंट प्लांट, कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड इत्यादि | | | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | |
| 6.2 ट्यूब-वैल, ओवर हेड रिजर्वायर, विद्युत केन्द्र/सब-स्टेशन | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 वाटर वर्क्स | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 माइक्रोवेव केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 कम्पोस्ट प्लान्ट | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6 पशुवधशाला | | | | | | 15 | | | | | | | | 15 | 15 | | |
| 6.7 सैल्यूलर/मोबाईल टावर | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. यातायात एवं परिवहन | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 पार्किंग स्थल | | | | | | | | 17 | 22 | | | | | | | | |
| 7.2 टैक्सी, टैम्पो, रिक्शा आदि के स्टैण्ड | | | | | | | | 17 | | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | |
| 7.3 ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 बस स्टैण्ड | 7 | 7 | 8 | 7 | | 7 | 17 | 17 | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | 7 | 7 |
| 7.5 बस टर्मिनल | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.6 मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशाप | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 7.7 मोटरचालन प्रशिक्षण केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.8 लोडिंग-अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधाएं | 7 | | | | | | | | | | | | | 22 | | | |
| 7.9 रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड/साइडिंग/टर्मिनल | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.10 धर्मकाँटा | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 |
| 7.11 एयरपोर्ट | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल का मैदान | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 बहुउद्देशीय खुले स्थल | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 7 |
| 8.3 गोल्फ/रेसकोर्स | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.5 कारवॉ पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल | | | | | | | | | 22 | | | | | | 22 | | |
| टिप्पणी | 1. सशत अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग-3 का संदर्भ लें। 2 Upto 10% Covered area and 0.20 FAR shall be permissible for the activities permitted in the Agriculture Land Use by "Special Permission" | | | | | | | | | | | | | | | | |

| क्रियाएं (Activities) / उपयोग | निर्मित क्षेत्र | भू-उपयोग जोन्स | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|-------|--------|---------|-------|---------|------|-------|-------------|----------|----------|---------|---------|------|---------------|-----------|--|
| | | विकासशील/अविकसित क्षेत्र | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | आवा. | व्यव. | उद्योग | कार्या. | सुवि. | सि. सै. | परि. | पार्क | सू प्रौद्यो | नॉ.पार्क | सं. हरि. | मनोरंजन | हरि. प. | कृषि | ग्रा.नि.क्षे. | ग्रा. वि. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 8.6 ट्रेफिक पार्क | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7 मनोरंजन पार्क | 6 | | | | | | | | 22 | | | | | | | 6 | 6 | |
| 8.8 क्लब, स्वीमिंग पूल | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.9 चिड़ियाघर, जल जीवशाला, वन्य जीव/पक्षी शरण स्थल | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.10 फ्लाइंग क्लब/हैलीपेड | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| 8.11 शूटिंग रेन्ज | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. कृषि | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 बागवानी, पौधशाला, उद्यान, वन, बॉटनीकल गार्डन | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 फार्म हाउस | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | |
| 9.3 चरागाह, दुग्धशाला (डेरी फार्म) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 धोबी घाट | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.5 सुअर/मत्स्य/कुक्कुट/मधुमक्खी पालन, पशु संबर्धन/प्रजनन केन्द्र | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.6 कृषि उपकरणों की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशाप | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. फ्लोटिंग उपयोग | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2 थोक व्यवसायिक | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3 यातायात एवं परिवहन | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.4 सेवा/कुटीर उद्योग | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.5 विशेष उद्योग (संकटपूर्ण, खतरनाक/प्रदूषणकारक) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6 धार्मिक स्थल यथा मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.7 कूड़ा कलैक्शन सेन्टर | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



टिप्पणी 1. सर्वात अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग-3 का संदर्भ लें।
 2 Upto 10% Covered area and 0.20 FAR shall be permissible for the activities permitted in the Agriculture Land Use by "Special Permission"